भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3711
दिनांक 25 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

किशोर अपराधियों का पुनर्वास

3711. श्री नंदीगम सुरेश :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत कितने किशोर अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया ;
(ख) उन्हें सुधारने और उनके पुनर्वास के लिए उपलब्ध अवसंरचना का ब्यौरा क्या है ; और
(ग) उन्हें शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : दिनांक 22.03.2022 तक बाल संरक्षण सेवा स्कीम (सीपीएस) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) के तहत सुनवाई किए गए कानून में फंसे बच्चों की संख्या/किशोर दोषियों की संख्या इस प्रकार से नीचे दी गई है :

वित्तीय वर्ष	कानून में फंसे बच्चों की संख्या
2016-17	62122
2017-18	10549
2018-19	11101
2019-20	11597
2020-21	13115

(ख) और (ग) : किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और सुरक्षा) अधिनियम, 2015 बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण, आत्मसम्मान और कल्याण सुनिश्चित करने वाला प्राथमिक कानून है । यह अधिनियम देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों और कानून के मामलों में फंसे बच्चों को देखभाल, संरक्षण, विकास, इलाज और सामाजिक एकीकरण, पुनर्बदलाव, पुनर्वास के माध्यम से उनकी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए संरक्षण प्रदान करता है । इस अधिनियम के कार्यान्वयन का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का है ।

यह मंत्रालय बाल संरक्षण सेवा स्कीम (सीपीएस) - मिशन वात्सलय नामक एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे देखभाल की जरूरतमंद बच्चों और कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों को सेवा प्रदान करते हैं। सीपीएस स्कीम के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) साथ ही आयु उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि सहायता करते हैं ।

*****